

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)
प्रकरण संख्या - 381/2024

अनवान : -

1. रमेश कुमार पुत्र कृष्ण कुमार जाति जाट निवासी रामगढ़ तहसील नोहर।

- वादी

बनाम्

1. धनपतराम पुत्र रावता जाति जाट निवासी रामगढ़ तहसील नोहर।
2. कृष्ण कुमार पुत्र धनपतराम जाति जाट निवासी रामगढ़ तहसील नोहर।
3. जयलाल पुत्र धनपतराम जाति जाट निवासी रामगढ़ तहसील नोहर।
4. रितु पुत्री कृष्ण कुमार पत्नी जयप्रकाश जाति जाट निवासी रामगढ़ तहसील नोहर
हाल निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।
5. सुमन पुत्री जयलाल जाति जाट निवासी रामगढ़ तहसील नोहर।
6. सुमित्रा पुत्री धनपतराम जाति जाट निवासी रामगढ़ तहसील नोहर।
7. कलावती पुत्री धनपतराम जाति जाट निवासी रामगढ़ तहसील नोहर।
8. सावित्री पुत्री धनपतराम जाति जाट निवासी रामगढ़ तहसील नोहर।
9. बलवन्ती पुत्री धनपतराम जाति जाट निवासी रामगढ़ तहसील नोहर।
10. उर्मिला देवी पुत्री धनपतराम जाति जाट निवासी रामगढ़ तहसील नोहर।
11. शकुन्तला पुत्री धनपतराम जाति जाट निवासी रामगढ़ तहसील नोहर।
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88-89, राजस्थान काश्त0
अधि0 1955

उपस्थिति :- श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी
पैरोकार राज


निर्णय

दिनांक: 30/5/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा रोही चक चक 11 एनटीआर बी तहसील नोहर के खाता संख्या 62/26 की कुल 2.4640 हैक्ट भूमि एवं रोही मौजा चक 12 एनटीआर तहसील नोहर के खाता संख्या 190/52 की कुल 4.8183 हैक्ट भूमि एवं रोही मौजा चक 17 एनटीआर तहसील नोहर के खाता संख्या 32/29 की कुल 0.7590 हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है प्रतिवादी संख्या 1 कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के अकेले के नाम दर्ज हो गई उक्त वाद भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 11 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ जन्म जात हक हिस्सा है। प्रतिवादीया संख्या 6 ता 11 ने उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती है अपना जो भी हक हिस्सा है वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 के पक्ष में परित्याग कर चुकी है। बाद हक त्याग वाद भूमि का वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 ने निम्नानुसार बाहमी बंटवारा कर लिया है-





उपखण्ड अधिकारी
नोहर

1. रोही मौजा चक 12 एनटीआर तहसील नोहर के खाता संख्या 190/52 के प0न0 387/427 के मु0न0 20 के किला न0 1/2 की 0.1140 हैक्ट भूमि एवं किला न0 10-11 व 20, 21 की 1.0120 हैक्ट भूमि एवं रोही मौजा चक 11 एनटीआर बी तहसील नोहर के खाता संख्या 62/26 के प0न0 386/426 मु0न0 77 के किला न0 14 ता 17 की 1.0120 हैक्ट भूमि व किला न0 24/1/1 की 0.0565 हैक्ट पूर्वी साईड, किला न0 25/1 की 0.1010 हैक्ट भूमि, किला न0 25/2 की 0.0250 हैक्ट भूमि गै0मु0 रास्ता, उक्त भूमि वादी के पास रहेगी।
2. रोही मौजा चक 17 डीपीएन तहसील नोहर के खाता संख्या 32/29 के प0न0 381/434 के किला न0 3, 8, 17 की कुल 0.7590 हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के पास रहेगी।
3. रोही मौजा चक 12 एनटीआर तहसील नोहर के खाता संख्या 190/52 के प0न0 387/427 के मु0न0 20 के किला न0 2/2 की 0.1140 हैक्ट भूमि एवं किला न0 9 की 0.0630 हैक्ट भूमि व किला न0 12, 19, 22 की 0.7590 हैक्ट भूमि व प0न0 387/427 मु0न0 20 के किला न0 3/2 की 0.565 हैक्ट भूमि, किला न0 4/2 की 0.1390 हैक्ट, किला न0 7 की 0.2530 हैक्ट, 8/1 की 0.1027 हैक्ट, 13/1 की 0.1027 हैक्ट, किला न0 14, 17 की 0.5060 हैक्ट, किला न0 18/1 की 0.1027 हैक्ट किला न0 23/1 की 0.1027 हैक्ट किला न0 24 की 0.2530 हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 2 के पास रहेगी।
4. रोही मौजा 11 एनटीआर बी तहसील नोहर के खाता संख्या 62/26 के प0न0 386/426 मु0न0 77 के किला न0 18 ता 20 की 0.7590 हैक्ट, किला न0 21/1 की 0.1130 हैक्ट, किला न0 21/2 की 0.0250 हैक्ट गै0मु0 रास्ता, 22/1 की 0.1130 हैक्ट, किला न0 22/2 की 0.0250 हैक्ट गै0मु0 रास्ता, 23/1 की 0.1270 हैक्ट, किला न0 23/2 की 0.0250 हैक्ट गै0मु0 रास्ता, 24/1/2 की 0.0575 हैक्ट पश्चिमी साईड की भूमि प्रतिवादी संख्या 4 के पास रहेगी।
5. रोही मौजा चक 12 एनटीआर तहसील नोहर के खाता संख्या 190/52 के प0न0 386/427 मु0न0 21 के किला न0 5/2 की 0.1260 हैक्ट भूमि, किला न0 6 की 0.2530 हैक्ट भूमि, किला न0 15, 16, 25 की 0.7590 हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 5 के पास रहेगी। वादी इसी अनुसार न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादी सं0 1 को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 11 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद


उपखण्ड अधिकारी
नोहर

को स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 11 को कोई ऐतराज नहीं है। प्रतिवादी संख्या 12 परोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य पुरानी व नवीनतम जमाबंदी, शपथ पत्र बाबत सदस्य आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जो की वर्तमान में वादी के पिता के नाम दर्ज है उक्त वाद भूमि पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 11 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ जन्म से हक हिस्सा है। प्रतिवादीगण संख्या 6 ता 11 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शून्य कर लिया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई ऐतराज नहीं है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

परोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पत्ति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।


हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा रोही चक 17 डीपीएन तहसील नोहर के खाता संख्या 31/28 की कुल 4.4550 हैक्ट भूमि व रोही मौजा चक 17 डीपीएन तहसील नोहर के खाता संख्या 32/29 की कुल 0.7590 हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से उक्त वाद भूमि पैतृक भूमि होना साबित है तथा उभयपक्ष ने उक्त वाद भूमि भी हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक कृषि भूमि होना जाहिर किया है। वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं सजरा खानदान के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 के अन्य कोई वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादी संख्या 6 ता 11 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शून्य कर लिया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 को कोई ऐतराज नहीं है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 12 एनटीआर तहसील नोहर के खाता संख्या 190/52 के प0न0 387/427 के

al
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

मु0न0 20 के किला न0 1/2 की 0.1140 हैक्ट भूमि एवं किला न0 10-11 व 20, 21 की 1.0120 हैक्ट भूमि एवं रोही मौजा चक 11 एनटीआर बी तहसील नोहर के खाता संख्या 62/26 के प0न0 386/426 मु0न0 77 के किला न0 14 ता 17 की 1.0120 हैक्ट भूमि व किला न0 24/1/1 की 0.0565 हैक्ट पूर्वी साईड, किला न0 25/1 की 0.1010 हैक्ट भूमि, किला न0 25/2 की 0.0250 हैक्ट भूमि गै0मु0 रास्ता, उक्त भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा चक 17 डीपीएन तहसील नोहर के खाता संख्या 32/29 के प0न0 381/434 के किला न0 3, 8, 17 की कुल 0.7590 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा चक 12 एनटीआर तहसील नोहर के खाता संख्या 190/52 के प0न0 387/427 के मु0न0 20 के किला न0 2/2 की 0.1140 हैक्ट भूमि एवं किला न0 9 की 0.0630 हैक्ट भूमि व किला न0 12, 19, 22 की 0.7590 हैक्ट भूमि व प0न0 387/427 मु0न0 20 के किला न0 3/2 की 0.565 हैक्ट भूमि, किला न0 4/2 की 0.1390 हैक्ट, किला न0 7 की 0.2530 हैक्ट, 8/1 की 0.1027 हैक्ट, 13/1 की 0.1027 हैक्ट, किला न0 14, 17 की 0.5060 हैक्ट, किला न0 18/1 की 0.1027 हैक्ट किला न0 23/1 की 0.1027 हैक्ट किला न0 24 की 0.2530 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी संख्या 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। रोही मौजा 11 एनटीआर बी तहसील नोहर के खाता संख्या 62/26 के प0न0 386/426 मु0न0 77 के किला न0 18 ता 20 की 0.7590 हैक्ट, किला न0 21/1 की 0.1130 हैक्ट, किला न0 21/2 की 0.0250 हैक्ट गै0मु0 रास्ता, 22/1 की 0.1130 हैक्ट, किला न0 22/2 की 0.0250 हैक्ट गै0मु0 रास्ता, 23/1 की 0.1270 हैक्ट, किला न0 23/2 की 0.0250 हैक्ट गै0मु0 रास्ता, 24/1/2 की 0.0575 हैक्ट पश्चिमी साईड की भूमि का प्रतिवादी संख्या 4 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। रोही मौजा चक 12 एनटीआर तहसील नोहर के खाता संख्या 190/52 के प0न0 386/427 मु0न0 21 के किला न0 5/2 की 0.1260 हैक्ट भूमि, किला न0 6 की 0.2530 हैक्ट भूमि, किला न0 15, 16, 25 की 0.7590 हैक्ट भूमि प्रतिवादी का संख्या 5 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार मुताबिक नजरीया नक्शा तरमीम राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30/5/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


 (पंकज गढ़वाल R.A.S)
 उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
 एवं सहायक कलक्टर
 नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर०ए०एस०)
प्रकरण संख्या - 381/2024

अनवान : -

1. रमेश कुमार पुत्र कृष्ण कुमार जाति जाट निवासी रामगढ़ तहसील नोहर।

- वादी

बनाम्

1. धनपतराम पुत्र रावता जाति जाट निवासी रामगढ़ तहसील नोहर।
2. कृष्ण कुमार पुत्र धनपतराम जाति जाट निवासी रामगढ़ तहसील नोहर।
3. जयलाल पुत्र धनपतराम जाति जाट निवासी रामगढ़ तहसील नोहर।
4. रितु पुत्री कृष्ण कुमार पत्नी जयप्रकाश जाति जाट निवासी रामगढ़ तहसील नोहर
हाल निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।
5. सुमन पुत्री जयलाल जाति जाट निवासी रामगढ़ तहसील नोहर।
6. सुमित्रा पुत्री धनपतराम जाति जाट निवासी रामगढ़ तहसील नोहर।
7. कलावती पुत्री धनपतराम जाति जाट निवासी रामगढ़ तहसील नोहर।
8. सावित्री पुत्री धनपतराम जाति जाट निवासी रामगढ़ तहसील नोहर।
9. बलवन्ती पुत्री धनपतराम जाति जाट निवासी रामगढ़ तहसील नोहर।
10. उर्मिला देवी पुत्री धनपतराम जाति जाट निवासी रामगढ़ तहसील नोहर।
11. शकुन्तला पुत्री धनपतराम जाति जाट निवासी रामगढ़ तहसील नोहर।
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955


राजस्व वाद संख्या 381 सन 2024 निर्णय दिनांक - 30/05/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री नरेन्द्र किशोर जोशी एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 12 एनटीआर तहसील नोहर के खाता संख्या 190/52 के प०न० 387/427 के मु०न० 20 के किला न० 1/2 की 0.1140 हैक्ट भूमि एवं किला न० 10-11 व 20, 21 की 1.0120 हैक्ट भूमि एवं रोही मौजा चक 11 एनटीआर बी तहसील नोहर के खाता संख्या 62/26 के प०न० 386/426 मु०न० 77 के किला न० 14 ता 17 की 1.0120 हैक्ट भूमि व किला न० 24/1/1 की 0.0565 हैक्ट पूर्वी साईड, किला न० 25/1 की 0.1010 हैक्ट भूमि, किला न० 25/2 की 0.0250 हैक्ट भूमि गै०मु० रास्ता, उक्त भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा चक 17 डीपीएन तहसील नोहर के खाता संख्या 32/29 के प०न० 381/434 के किला न० 3, 8, 17 की कुल 0.7590 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा चक 12 एनटीआर तहसील नोहर के खाता संख्या 190/52 के प०न० 387/427 के मु०न० 20 के किला न० 2/2 की 0.1140 हैक्ट भूमि एवं किला न० 9 की 0.0630 हैक्ट भूमि व किला न० 12, 19, 22 की 0.7590 हैक्ट भूमि व प०न० 387/427 मु०न० 20 के किला न० 3/2 की 0.565 हैक्ट भूमि, किला न० 4/2 की 0.

अ
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

1390 हैक्ट, किला न0 7 की 0.2530 हैक्ट, 8/1 की 0.1027 हैक्ट, 13/1 की 0.1027 हैक्ट, किला न0 14, 17 की 0.5060 हैक्ट, किला न0 18/1 की 0.1027 हैक्ट किला न0 23/1 की 0.1027 हैक्ट किला न0 24 की 0.2530 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी संख्या 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। रोही मौजा 11 एनटीआर बी तहसील नोहर के खाता संख्या 62/26 के प0न0 386/426 मु0न0 77 के किला न0 18 ता 20 की 0.7590 हैक्ट, किला न0 21/1 की 0.1130 हैक्ट, किला न0 21/2 की 0.0250 हैक्ट गै0मु0 रास्ता, 22/1 की 0.1130 हैक्ट, किला न0 22/2 की 0.0250 हैक्ट गै0मु0 रास्ता, 23/1 की 0.1270 हैक्ट, किला न0 23/2 की 0.0250 हैक्ट गै0मु0 रास्ता, 24/1/2 की 0.0575 हैक्ट पश्चिमी साईड की भूमि का प्रतिवादी संख्या 4 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। रोही मौजा चक 12 एनटीआर तहसील नोहर के खाता संख्या 190/52 के प0न0 386/427 मु0न0 21 के किला न0 5/2 की 0.1260 हैक्ट भूमि, किला न0 6 की 0.2530 हैक्ट भूमि, किला न0 15, 16, 25 की 0.7590 हैक्ट भूमि प्रतिवादी का संख्या 5 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार मुताबिक नजरीया नक्शा तरमीम राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 30/05/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर